स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट का सारांश

हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय का कामकाज

- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर स्टैंडिंग कमिटी ने 6 मई, 2016 को हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) के कामकाज पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। कमिटी की मुख्य टिप्पणियों और सुझावों में निम्न शामिल हैं:
- रेगुलेटर: कमिटी का मानना था कि हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी है, अतः इस क्षेत्र के लिए स्वतंत्र रेगुलेटर का होना जरूरी है जिसके पास कुछ वैधानिक शक्तियां हों (सरकार की नीति के अनुरूप निर्णय लेने के लिए)। वर्तमान में अपस्ट्रीम क्षेत्र (तेल की खोज, एक्सप्लोरेशन और उत्पादन) में रेगुलेटर नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बोर्ड (पीएनजीआरबी) (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन) डाउनस्ट्रीम क्षेत्र (पेट्रोलियम उत्पादों की रिफाइनिंग, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन) के एक छोटे से हिस्से को रेगुलेट करता है। इसलिए मंत्रालय को डीजीएच द्वारा किए जाने वाले रेगुलेटरी कामकाज को पीएनजीआरबी में निहित कर देना चाहिए। पीएनजीआरबी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, दोनों क्षेत्रों को रेगुलेट कर सकता है।
- अपीलीय प्रावधान: कमिटी ने यह पाया कि प्रोडक्शन शेयरिंग के कॉन्ट्रैक्ट (पेट्रोलियम के उत्पादन के संबंध में कॉन्ट्रैक्टर और सरकार के बीच कॉन्ट्रैक्ट) को अमल में लाने पर कई तरह के विवाद होते हैं। अपीलीय अथॉरिटी के बिना डीजीएच से होने वाले विवादों को अदालतों में ले जाया जाता है। इससे एक्सप्लोरेशन आदि के काम में विलंब होता है। परामर्श के बाद एक निर्णायक अथॉरिटी का गठन किया जाना चाहिए जोकि डीजीएच द्वारा जारी आदेशों की समीक्षा करे। कमिटी ने यह भी कहा कि मंत्रालय को प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम की समीक्षा करनी चाहिए और सरल तरीके के कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने चाहिए जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा स्पष्ट की जाए और किसी भी प्रकार के गलत मायने निकालने की गुंजाइश कम से कम हो।
- योग्यता: कमिटी ने पाया कि भर्ती के अधिकतर मामलों में डीजीएच के पद के लिए तकनीकी व्यक्तियों को ही चुना जाता है। हालांकि, वर्ष 2012 में इस पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी की नियुक्ति भी की गई थी। इसके अतिरिक्त यह पाया गया कि डीजीएच का पद जुलाई 2015 के बाद से रिक्त है। इसका कारण यह था कि इस पद के लिए भर्ती नियम नहीं बनाए गए। यह उल्लेखनीय है कि डीजीएच का पद एक तकनीकी पद है और अपस्ट्रीम क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुभव वाले व्यक्ति को यह पद दिया जाना चाहिए (प्रतिपादित भर्ती नियमों में यह प्रावधान है)। यह सिफारिश की गई है कि डीजीएच के पद को रिक्त नहीं रखा जाना चाहिए।
- मानव संसाधन: कमिटी ने कहा है कि डीजीएच में कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 255 है लेकिन वहां केवल 187 कर्मचारी ही हैं। यह देखा गया कि डीजीएच में अधिकारियों को तेल क्षेत्र के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (पीएसयू) से डेपुटेशन पर भेजा जाता है। ऐसे में अपने पीएसयू के काम का विश्लेषण करते हुए इन अधिकारियों के अपने हित आड़े आते हैं। मंत्रालय द्वारा डीजीएच के लिए अधिकारियों का स्थायी कैडर बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। यह भी देखा गया कि पुनर्गठन के मामले में डीजीएच को सलाहकार को काम पर रखने की सलाह दी गई। कमिटी ने सुझाव दिया कि प्राथमिकता के आधार पर सलाहकार को काम पर रखा जाना चाहिए। यह

दिपेश सुवर्ण
dipesh@prsindia.org

30 मई, 2016

कहा गया है कि रिपोर्ट मिलने के बाद कर्मचारियों के स्थायी कैडर को तैयार करने के लिए डीजीएच को पुनर्गठित किया जाना चाहिए।

- पुनर्मूल्यांकन: पंद्रह सेडिमेंटरी बेसिनों (और गहरे पानी क्षेत्रों) के लिए हाइड्रोकार्बन रिसोर्स बेस का अंतिम आकलन किए हुए बीस साल से भी अधिक हो गए हैं। इस संबंध में सरकार ने कुछ प्रॉजेक्ट शुरू किए हैं। असूचित (अनअपराइज्ड) क्षेत्रों (जिन्हें खोज के लिए चिन्हित नहीं किया गया है) का मूल्यांकन एक निश्चित समयावधि में पूरा किया जाना चाहिए। हाइड्रोकार्बन के स्थिर घरेलू उत्पादन को देखते हुए अपस्ट्रीम पीएसयू के एक्सप्लोरेशन के काम की समीक्षा के लिए एक मल्टी ऑर्गेनाइजेशनल टीम का गठन किया जाना चाहिए।
- सर्वे और वैकल्पिक ईंधनः तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड जैसी कंपनियों को कुछ असूचित (अनअपराइज्ड) क्षेत्रों का सर्वे करने का काम दिया गया है। इसके लिए शुरुआती खर्च इन उपक्रमों द्वारा किया गया है। कमिटी ने आशंका जताई है कि क्या ये पीएसयू इस काम को प्राथमिकता देंगे और इसके लिए अपने बजट से खर्च करेंगे। यहां यह उल्लेखनीय है कि इस प्रॉजेक्ट को हाइड्रोकार्बन के पुनर्मूल्यांकन की निगरानी करने वाली राष्ट्रीय स्तर की कमिटी की प्रत्यक्ष निगरानी के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। वैकल्पिक ऊर्जा के संसाधनों (जैसे शेल गैस) के एक्सप्लोरेशन की गति बहुत धीमी रही है। वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों से संबंधित कार्यक्रमों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।